न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 12/24 किशनसिंह कुशवाह बनाम राज-सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/11/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप०। बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व अभिलेखों में भूलवश वादी का नाम किशनसिंह कुशवाहा के स्थान पर किशनलाल दर्ज हो गया है। वादी का नाम शुद्ध करने की सिफारिश तहसीलदार अंता द्वारा की की जा चुकी है, समस्त दस्तावेजात एवं तहसील रिपोर्ट के आधार पर वादी का नाम किशन लाल के स्थान पर किशनसिंह कुशवाहा दर्ज करने ~~[illegible]~~ के आदेश पारित करें। बहस अधिवक्ता वादी, दस्तावेजात एवं जवाब /रिपोर्ट TOR के आधार पर वाद स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिए जाते हैं कि ~~[illegible]~~ वादग्रस्त आराजी ग्राम चकशाहबाद पटवार हलका अन्ता जिला बारां के खसरा नं० 124 रकबा 0.12 है०, खसरा नं० 125 रकबा 0.21 है०, खसरा खसरा नं० 126 रकबा 0.11 है०, खसरा नं० 127 रकबा रकबा 1.69 है०, खसरा नं० 127/181 रकबा 2.52 है०, खसरा नं० 167 रकबा 0.09 है०, खसरा नं० 210/123 रकबा 0.04 है० खसरा नं० 211/124 रकबा 0.08 है०	

(अ[illegible])
उपखण्ड अधिकारी अन्ता
जिला बारां (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	खसरा नं० 216/167 रकबा 0.18 हैक्ट० कुल किता 10 रकबा 5.08 हैक्ट० में दर्ज वादी के 1/3 हिस्से में वादी का नाम किशनलाल के स्थान पर किशनसिंह कुशवाहा दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय सदर इजलास पढ़कर सुनाया गया। डिक्री पर्ची पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अंज[illegible] सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी अन्ता
जिला बारां (राज०)